१-मल

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्य प्रदेश

क्रमांक / स्था.2 / एम / से.नि.संविदानियु. / 14 / 2010 / 105 भोपाल ,दिनांक 20-1-2011

प्रति ,

समस्त
जिला शिक्षा अधिकारी
(मध्यप्रदेश) ।

विषयः—सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की नियुक्ति ।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में शिक्षकों की कमी रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति करने संबंधी शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र एफ–1–59–2009–20–1 भोपाल, दिनांक 21 मई 10 की प्रति एवं
2– सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों को संविदा नियुक्ति देने संबंधी म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी--3--19 / 2010 / 1 / 3 भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर 2010 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

20/1/11

सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

एफ सी–3–19/2010/1/3 भोपाल दिनांक 6 अक्टूबर 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय :– सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति।
संदर्भ :– इस विभाग का ज्ञापन क. सी 3–33/49/3/89 दिनांक 23 दिसम्बर 1989 एवं ज्ञाप क. सी–3–23/90/3/49 दिनांक 20 जुलाई 1990

इस विभाग के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को संविदा नियुक्ति पर सेवा शर्ते एवं एकजायी वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में दिनांक 01.01.2006 से छठवां वेतनमान लागू हो जाने से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति पर एकजायी वेतन का निर्धारण छठवें वेतनमान के संदर्भ में किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः इस विभाग के ज्ञापन क. सी–3–23/90/3/49 दिनांक, 20 जुलाई 1990 को निरस्त किया जाता है, तथा ज्ञापन क. सी 3–33/49/3/89 दिनांक 23 दिसम्बर 1989 की कंडिका –2 (ख) (ग) एवं (घ) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार कंडिकाएं स्थापित की जाती है :–

(ख) सेवानिवृत्ति की तिथि को सकल वेतन में से सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त होने वाली सकल पेंशन घटाकर जो राशि आएगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी।

(ग) सकल वेतन का आशय वेतन एवं मंहगाई भत्ता होगा। नवीन वेतनमानों के अंतर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता+ग्रेड पे माने जाएगें। इसी तरह सकल पेंशन के मामले में मूल पेंशन एवं उस पर देय मंहगाई राहत शामिल होगी।

(घ) कंडिका (ख) मे दर्शाये गए संव्दिा वेतन पर किसी भी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होगें। पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।

2/ संविदा पर नियुक्ति की अवधि में अन्य शर्ते इस विभाग के ज्ञापन क. सी–33/49/3/89 दिनांक 23 दिसम्बर 1989 (प्रति संलग्न) के अनुसार यथावत् रहेगी।

(अकीला हशमत)
उप सचिव
म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक सी–3 –19/2010/3/एक भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर,2010

प्रतिलिपि:--

1. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय ,मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव,लोकायुक्त,मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5 राज्यपाल के सचिव,मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्य मंत्री,मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश,भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक ,मध्य प्रदेश भोपाल
9 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्य प्रदेश,भोपाल
10 सचिव,मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल,मध्य प्रदेश,भोपाल
12 महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर/जबलपुर ।
13. महालेखाकार,मध्य प्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
15. उप सचिव/अवर सचिव,स्थापना/अधीक्षण /अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश,मंत्रालय भोपाल।
16 मुख्य सचिव के अपर सचिव,मंत्रालय भोपाल
17 आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय,मध्य प्रदेश भोपाल
18 सचिव मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल।
19 अध्यक्ष,मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20 अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।
21 श्री प्रकाश राव, तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी.कम्प्यूटर कक्ष वल्लभ भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(आर.बी.वैष्णव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक सी-3-33/49/3/89 भोपाल, दिनांक 23 दिसंबर, 1989

प्रति,

शासन के समस्त विभाग ।

विषय:- सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पुनर्नियुक्ति या संविदा नियुक्ति ।

अधिवार्षिकी आयु पूर्ण सेवानिवृत्त हो चुके जिन शासकीय सेवकों को जनहित एवं प्रशासकीय आवश्यकता के आधार पर पुनर्नियुक्ति या संविदा नियुक्ति पर रखा जाता है उन पुनर्नियुक्त या संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा इस विभाग से समय-समय पर निम्नांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है :-

(1) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को शासन के अधीन किसी पद पर संविदा नियुक्ति देने पर संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्तें क्या होंगी ।

(2) सेवानिवृत्ति के पश्चात संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे या नहीं ।

(3) सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्त अथवा संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के गोपनीय प्रतिवेदन रखे जाएं अथवा नहीं ।

2. उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है:-

(1) संविदा पर नियुक्ति की सामान्य शर्तें निम्नानुसार निर्धारित की जाना चाहिए:-

(क) संविदा सेवा में नियुक्ति के लिए अवधि का निर्धारण ।

(ख) संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई क्लोब वेतन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी ।

(ग) एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल परिलब्धियों में से पेंशन की राशि घटाकर तय की जायेगी ।

--2

(घ) एकजाई वेतन के अतिरिक्त पेंशन पृथक से प्राप्त होगी, परन्तु उस पर देय राहत की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज् में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(च) यदि सेवानिवृत्ति के समय अधिकारी शासकीय आवास गृह में रह रहे थे तो संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान भी शासकीय आवास गृह की पात्रता होगी जिसका किराया उसी दर से काटा जाएगा जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व देय था।

(छ) शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अस्थायी कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी।

(ज) यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।

(2) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर आचरण नियमों के प्रावधान लागू होना -

संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि संविदा नियुक्ति से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए कि उन पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे।

(3) पुनर्नियुक्ति अथवा संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन रखे जाना -

पुनर्नियुक्त अथवा संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाना चाहिए। यह इसलिए कि भविष्य में यदि उन्हें और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति या संविदा नियुक्ति दिए जाने की आवश्यकता पड़े तो उनके पूर्व के पुनर्नियुक्ति, संविदा नियुक्ति के काम के कार्यस्तर आदि का मूल्यांकन कर इसके आधार पर आगामी पुनर्नियुक्ति या संविदा नियुक्ति देने हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

(वी0के0 मजोत्रा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

पृष्ठांकन क्र० सी- 3-33/49/3/89 भोपाल, दिनांक 23 दिसंबर, 1989

प्रतिलिपि :-

1- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।

2- निबंधक, उच्च न्यायालय, म०प्र०, जबलपुर,
लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र०, इन्दौर,
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, म०प्र०, भोपाल ।

3- राज्यपाल के सचिव, म०प्र० राजभवन, भोपाल,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म०प्र०, भोपाल ।

4- मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/ उप मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ ।

5- सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव (समस्त) सामान्य प्रशासन एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग ।

6- अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म०प्र० सचिवालय, भोपाल ।

7- अध्यक्ष, व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा मंडल, म०प्र०, भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ ।

23-12-89

(ओ०एन० शर्मा)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

20

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक: एफ–1–59–2009–20–1

आदेश

भोपाल दिनांक 21 मई 2010

प्रति,

आयुक्त,लोकशिक्षण,मध्यप्रदेश
आयुक्त,राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल
समस्त कलेक्टर्स,मध्यप्रदेश
समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश

विषय:– ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में शिक्षकों की कमी–रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति।

विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2009 द्वारा कक्षा–9 वीं से 12 वीं के स्कूलों में विषयवार शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 05.02.2010 द्वारा कक्षा– 1 से 8 वीं के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति पे (–) पेंशन के आधार पर शिक्षा सत्र 2009–2010 के अन्त तक की अवधि के लिए कि[illegible] जाने के आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए गए हैं।

2 उल्लेखित दिनांकों के आदेशों के सन्दर्भ में राज्य शासन द्वारा कक्षा 9 वीं से 12 वीं के स्कूलों तथा कक्षा 1 से 8 वीं के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त शिक्षकों की पे (–) पेंशन के आधार पर आगामी आदेश तक अगले शि[illegible] सत्रों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्तियां करने का निर्णय लिया गया है–

(1) ऐसे सेवा निवृत्त शिक्षक इस योजना में पात्र होंगे,जो शारीरिक एवं मानसि[illegible] रूप से स्वस्थ्य है।

(2) सेवा निवृत्त शिक्षक की आयु अधिकतम 70 वर्ष तक हो सकती है।

(3) सेवा निवृत्त शिक्षक सेवा निवृत्ति उपरान्त अध्यापन कार्य में [illegible] सहमति प्रदान करें।

(4) सेवानिवृत्त शिक्षक के स्वास्थ्य के कारण यदि वे अध्यापन कार्य [illegible] की पूर्व सूचना [illegible] नियुक्ति समाप्त [illegible] देय भुगतान [illegible]

(5) [illegible] शिक्षकों का ऐसी नियुक्ति के [illegible] और न ही कहीं [illegible]।

-------2-------

(6) शुद्ध रूप से रिक्त पद पर ही ऐसी अस्थाई नियुक्तियां की जा सकेगी । शुद्ध रूप से रिक्त पद का तात्पर्य है कि उस पद पर भर्ती/पदस्थ शिक्षक कही अटैच/अन्य स्थान पर मौखिक व लिखित आदेश पर कार्यरत न हो । अवकाश के कारण पद रिक्त नहीं माना जावेगा ।

(7) सेवानिवृत्त शिक्षकों की ऐसी नियुक्ति छात्रों को पढ़ाने के लिये केवल स्कूलों में की जा सकेगी ।

(8) सेवानिवृत्त शिक्षक उसी विषय का होना चाहिये जिस विषय की रिक्ति उपलब्ध हो ।

(9) ऐसी नियुक्तियां शिक्षण सत्र के लिए होगी–ग्रीष्म अवकाश के दौरान कोई नियुक्ति नहीं की जावेगी ।

(10) सेवानिवृत्त शिक्षकों को केवल शासकीय सेवकों के लिए निर्धारित दिवसों के आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी ।

(11) शासकीय सेवकों को उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ की पात्रता सेवानिवृत्त शिक्षकों को नही होगी ।

(12) रिक्त पद पर भर्ती होते ही ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी और संबंधित को वेतन संबंधी कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

21-5-10

(शोभा इवनाती)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ–1–59–2009–20–1 भोपाल दिनांक मई 2010

प्रतिलिपि

1– सचिव,मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग,भोपाल
2– महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
3– आयुक्त,आदिवासी विकास,भोपाल।
4– अवर सचिव,मुख्य सचिव कार्यालय,भोपाल
5– संचालक, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6– समस्त कोषालय अधिकारी,मध्यप्रदेश ।
7– निज सचिव,मंत्री/राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा विभाग,मप्र भोपाल

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21-5-10

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग